न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **113 / 2021** — अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
चेलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति गुरू, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. पेलाजराम पुत्र दुर्गाराम 3. जोरा पुत्र मूला जाति मेघवाल, निवासी शिव 4. ईस्लाम पुत्र हकीम 5. नवाबखान पुत्र हकीमखान 6. रमधान पुत्र वलिया 7. हलीमो पत्नी निहाल 8. कायमखान पुत्र सुलेमान 9. भीखाखान पुपत्र सुलेमान 10. अलादीन पुत्र अली 11. ईसाखान पुत्र सिकूखान 12. बक्साखान पुत्र अलीखान 13. सुभानखान पुत्र अली 14. निहालखान पुत्र हकीम जाति मुसलमान, निवासी हकीम की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15. सहायक अभियंता सार्व. निर्माण विभाग शिव 16. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शिव 17. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 04.09.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1189 / 10314 रकबा 29.02 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ व मूल खसरा नम्बर से विभाजित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1035 / 769, 1031 / 769, 1089 / 729, 1029 / 769, 1030 / 769, 1028 / 769, 1039 / 769, 1032 / 769, 1037 / 769, 1034 / 769, 1041 / 769, 769, 1042 / 769, 1036 / 769, 1038 / 769 व 1040 / 769 आये हुए है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 769 था, जिसमें से कुछ भूमि प्रार्थी को आवंटन हुई है। मौके पर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि रकबा 29.02 बीघा पर काबिज काश्त है किन्तु विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में 22 बीघा भूमि की ही तरमीम की गई है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त व रकबा की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त व रकबा की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से प्रार्थी के हिस्से में 7.02 बीघा भूमि कम की गई है, जिससे मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, [illegible] हुआ कि उसकी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पूरी है तथा लट्ठा नक्शा की तर[illegible]म [illegible] है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा [illegible] मौका [illegible] तरमीम को निरस्त करवाते हुए मौके पर मूल खसरा नम्बर के समस्त खातेदारान को [illegible] अनुपात में तरमीम कर मौका माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार शिव से विवादित आराजी के वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका

उपखण्ड अधिकारी
शिव

रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू मूल खसरा नम्बर 769 की जांच की गई तथा उक्त मूल खसरा नम्बर से विभाजित समस्त खसरा नम्बर का रकबा व कब्जा काश्त का मिलान किया गया। मोमीट्रेस नक्शा और लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 769 का कुल रकबा जांच करने पर मोमीट्रेस नक्शा की तुलना में लट्ठा नक्शा में मूल रकबा 30.00 बीघा कम पाया गया, जिसके कारण खसरा नम्बर 1034/769, 1189/1034, 1035/769 की तरमीम जमाबंदी रकबा अनुसार न होकर कम है। उक्त खसरा नम्बर में तरमीम संशोधन बाबत् मोमीट्रेस नक्शा को आधार मानते हुए कब्जा काश्त के आधार पर तरमीम संशोधन हेतु मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम संशोधन का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू मूल खसरा नम्बर 769 की जांच की गई तथा उक्त मूल खसरा नम्बर से विभाजित समस्त खसरा नम्बर का रकबा व कब्जा काश्त का मिलान किया गया। मोमीट्रेस नक्शा और लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 769 का कुल रकबा जांच करने पर मोमीट्रेस नक्शा की तुलना में लट्ठा नक्शा में मूल रकबा 30.00 बीघा कम पाया गया, जिसके कारण खसरा नम्बर 1034/769, 1189/1034, 1035/769 की तरमीम जमाबंदी रकबा अनुसार न होकर कम है। उक्त खसरा नम्बर में तरमीम संशोधन बाबत् मोमीट्रेस नक्शा को आधार मानते हुए कब्जा काश्त के आधार पर तरमीम संशोधन हेतु मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि जमाबंदी रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से तरमीम दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हकीम की बस्ती, तहसील शिव में प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 1189/1034 रकबा 29.02 बीघा एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1034/769, 1035/769 रकबा क्रमशः 4.7105, 9.7124 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)